(5)

सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–3/2015/1–15/क.क. भोपाल, दिनांक 29/04/20[illegible]
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः मध्यप्रदेश के शासकीय कार्यालयों, भवनों, संपत्तियों आदि की सुरक्षा के संबंध में ।

—0—

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त शासकीय कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों द्वारा राज्य शासन से बिना पूर्व अनुमति/सूचना के ही हड़ताल/धरना/प्रदर्शन/सामूहिक अवकाश पर रहकर शासकीय कार्यालयों में पोस्टर चस्पा किये जाते है, बैनर लगाये जाते हैं, तथा कर्मचारियों के समूह बनाकर शासकीय कार्यालयों में जाकर नारेबाजी करते हैं, शासकीय भवनों पर प्रदर्शन कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते है तथा शासकीय कार्यालयों/भवनों/संपत्तियों को नुकसान पंहुचाया जाता है जो शासकीय नियमों के विरूद्व है।

2/ भविष्य में शासकीय कार्य सुचारू रूप चले तथा शासकीय कार्यालयों/भवनों/संपत्तियों आदि को नुकसान न हो तथा उनकी की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे इस हेतु **''मध्यदेश संपत्ति निरूपन निवारण अधिनियम,1994''** के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
0[illegible] 2015
Reg. No. 1513
Receipt [illegible]

(के0 सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 5–3/2015/1–15/क.क. भोपाल, दिनांक 29/04/2015

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. माननीय मंत्री/ राज्य मंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

D:\Mul\पत्र.doc

04.06

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक B/2887 / जबलपुर, दिनांक 06/07/2015
II-15-5/66 II

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश.........समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र. सागर
5. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार प्रशा./न्यायिक 1 एवं 2/जिला स्था./इं/व्ही.एल./निरीक्षण एवं सतर्कता/पी.पी.एस./एक्जाम एण्ड लेबर ज्यूडिशरी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार आई.टी. .... उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. लेखा अधिकारी .... उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल......... उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
13. अनुभाग अधिकारी/इंचार्ज ....समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
14. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
15. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सतर्कता/न्यायिक/एक्जाम एण्ड आई.एल.आर. महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
16. ग्रंथपाल 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
17. सहायक स्थापना/स्थापना सैट/ लेखा/ बजट/ पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अंगीकृत करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) मंत्रालय, के ज्ञापन कमांक एफ 5-3/2015/1-15/क.क. भोपाल दिनांक 29.04.2015 की प्रतिलिपि।

03/7/15

(सुशांत हुद्दार)
रजिस्ट्रार(प्रशा.)